

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डीबी केंद्रीय/उत्पाद शुल्क अपील संख्या 1/2024

बाबा राम देव कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर, 71, पटेल नगर, राम मंदिर के पीछे, हवा सड़क, सोडाला, जयपुर मालिक श्री दीपक अग्रवाल के माध्यम से

----अपीलकर्ता

बनाम

अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर विभाग, आयुक्तालय जयपुर, पूर्व में केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय जयपुर-1 जयपुर (राजस्थान) के नाम से जाना जाता था, जिसका कार्यालय न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टैच्युट सर्किल भगवान दास रोड, जयपुर में है।

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए : श्री सिद्धार्थ रांका
श्री रोहन चत्तर के साथ
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री वेदांत अग्रवाल

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

आदेश

13/08/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):

1. यह अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 35-जी के साथ वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत, सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलकर्ता "कॉम्प्लेक्स निर्माण, प्रबंधन, रखरखाव या मरम्मत सेवाएँ आदि" प्रदान करने में संलग्न है। 2006-2007 से 2010-2011 की अवधि के लिए दिनांक 18.10.2011 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी पूछा गया था कि "कॉम्प्लेक्स निर्माण सेवाओं" की श्रेणी के अंतर्गत सेवा कर का भुगतान क्यों नहीं किया गया। न्यायनिर्णायक अधिकारी ने दिनांक 22.02.2013 के आदेश द्वारा मांग की पुष्टि की। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष आंशिक सफलता और न्यायाधिकरण द्वारा अपील खारिज होने के बाद, अपीलकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

3. निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न प्रस्तावित किए गए हैं:

I. क्या माननीय सीईएसटीएटी का यह मानना सही है कि अपीलकर्ता द्वारा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड/पीएचईडी को प्रदान की गई सेवाएं, जो कि गैर वाणिज्यिक राज्य सरकार इकाई/विभाग हैं, सेवा कर के लिए प्रभार्य हैं और कर से मुक्त नहीं हैं।

II. क्या माननीय सीईएसटीएटी ने वर्गीकरण और उसकी व्याख्या के विवादित मुद्दे पर जुर्माना लगाने का समर्थन सही ठहराया है? III. क्या माननीय सीईएसटीएटी ने विस्तारित सीमा अवधि के आह्वान का समर्थन सही ठहराया है?

4. अधिनियम की धारा 35(जी) में न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान है, यदि यह न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि इसमें विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। अपवाद उत्पाद शुल्क की दर या मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ माल के मूल्य से संबंधित प्रश्न हैं। धारा 35-एल उन मामलों का प्रावधान करती है जहाँ अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकेगी। धारा 35-एल(i)(ख) के अनुसार, मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ शुल्क की दर, माल के मूल्य से संबंधित प्रश्न के निर्धारण के मुद्दे पर अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकेगी।

5. नवीन केमिकल्स मैनुफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड बनाम कस्टम्स कलेक्टर के मामले में **(1993) 4 एससीसी 320** में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:

“11. यह देखा जाएगा कि उप-धारा 5 में उक्त अभिव्यक्ति 'मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए शुल्क की दर या माल के मूल्य से संबंधित किसी प्रश्न का निर्धारण' का प्रयोग किया गया है और उसका स्पष्टीकरण 'इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए' इसकी परिभाषा प्रदान करता है। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस अभिव्यक्ति में शुल्क की दर से संबंधित प्रश्न का निर्धारण; मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए माल के मूल्यांकन; टैरिफ के अंतर्गत माल के वर्गीकरण और वे छूट अधिसूचना के अंतर्गत आते हैं या नहीं; और क्या उक्त अधिनियम द्वारा उपबंधित कुछ मामलों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन के प्रयोजनों/के लिए माल के मूल्य में वृद्धि या कमी की जानी चाहिए, शामिल है। यद्यपि यह स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से उक्त अभिव्यक्ति की परिभाषा को धारा 129-डी की उप-धारा 5 तक सीमित करता है, फिर भी यह उचित है कि उक्त अधिनियम के अन्य भागों में प्रयुक्त उक्त अभिव्यक्ति की व्याख्या इसी प्रकार की जाए। वैधानिक परिभाषा ऊपर दिए गए उक्त अभिव्यक्ति के अर्थ के अनुरूप है। मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए शुल्क की दर और माल के मूल्य से संबंधित प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो स्पष्ट रूप से इस अर्थ के अंतर्गत आते हैं। उक्त अभिव्यक्ति का।”

(जोर दिया गया)

6. उच्चतम न्यायालय ने सीमा शुल्क आयुक्त, बेंगलोर-1 बनाम मोटोरोला इंडिया लिमिटेड के एक अन्य मामले में **(2019) 9 एससीसी 563** में रिपोर्ट किया है कि:

“16. हमारा यह सुविचारित मत है कि विधानमंडल ने मामलों की केवल निम्नलिखित श्रेणियां बनाई हैं, जिनके लिए उसने न्यायालय में सीधे अपील करने का विशेष प्रावधान करने का इरादा किया है।

(i) शुल्क की दर से संबंधित प्रश्न का निर्धारण ;

(ii) मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए माल के मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न का निर्धारण;

(iii) टैरिफ के अंतर्गत माल के वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न का निर्धारण तथा यह कि वे छूट अधिसूचना के अंतर्गत आते हैं या नहीं;

(iv) क्या मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए माल का मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए या घटाया जाना चाहिए, यह बात उक्त अधिनियम में दिए गए कुछ मामलों पर विचार करते हुए कही जा सकती है।

7. पहला प्रस्तावित प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता छूट अधिसूचना के अंतर्गत आता है या उसकी सेवाएं कर योग्य हैं , यह मुद्दा अधिनियम की धारा 35-एल के दायरे में आता है और अपील सर्वोच्च न्यायालय में होगी।

8. अपील को पोषणीय न मानते हुए खारिज किया जाता है।

(आशुतोष कुमार), जे

(अवनीश झिंगन), जे

चंदन /एमआर/150

रिपोर्ट योग्य: हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी